90

प्र/निग०/रीवा/2017/4554

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर खंडपीठ रीवा म0प्र0 ।

Rs.30/-

रामप्रकाश सिंह उर्फ रामनिवास सिंह तनय मथुरा सिंह उम्र 36 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम सोनरा थाना चोरहटा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

---------- निगरानी कर्ता ।

बनाम

1- दरोगा कोल तनय जागेश्वर कोल उम्र 45 वर्ष पेशा ठेकेदारी निवासी ग्राम सोनरा नई बस्ती तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 ।

2- रामसुमन उपाध्याय तनय इन्द्रभान उपाध्याय उम्र 30 वर्ष पेशा कृषि निवासी सोनरा नई बस्ती तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

-------------- गैर निगरानी कर्तागण।

अधि0श्री रामलाल सिंह
द्वारा पेश/20-11-17

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 सन 1959 ई0 ।

निगरानी विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी महो0 तहसील हुजूर के प्र0क्र0 55अ19/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 29-09-2017 ·

मान्यवर,

संक्षिप्त कथन :-

यह कि आराजी नं0 121 के अंश भाग में आवेदक का 50 वर्ष से अधिक पुराना कब्जा व माकान बना हुआ है जिसके संबंध में सन् 1993 में निगराकार के विरुद्ध 248 म0प्र0भू0रा0संहिता के तहत नोटिश दी गयी थी और उसके बाद सन् 2001 में आवेदक की माँ प्रेमवती के नाम धारा 248 म0प्र0भू0रा0संहिता के अन्तर्गत नोटिश दी गयी थी जिसमें निगराकार द्वारा जुमनि की राशि रु0 250/- भी जमा किया गया था तथा आवेदक/निगराकार की माँ प्रेमवती का नाम भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज होता था । निगराकार अपने माता-पिता के साथ संयुक्त रुप से रहता था व है , तत्पश्चात गैर निगराकार क्र0 1 दरोगा कोल सन 2002 में तत्कालीन पटवारी से मिलकर झूंठा प्रतिवेदन दिलवाकर -

21-11-17 क्र0 ----

... आदेश दिनांक 29-09 ...

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक दो/निग/रीवा/भूरा/2017/4554

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-06-18	आवेदक अभिभाषक श्री संगमलाल सिंह द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा प्रकरण क्र. 15/अ16/08–09 आदेश दिनांक 29.09.17 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में उन्हीं तथ्यो को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उल्लेखित है। आवेदक अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। आदेश के अवलोकन से स्पश्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा विलंब से अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने के संबंध में दिन–प्रतिदिन का विलंब का कारण नहीं दिये जाने के कारण धारा–5 आवेदन पत्र खारिज कर अपील निरस्त की गई है। उक्त आदेश अंतिम प्रकृति का आदेश है। जिसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। परंतु आवेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। उभय पक्ष को सूचना दी जावे। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	